न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–284/24

1. रामसहाय पुत्र बुद्वि उर्फ बुद्वीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)
2. भूपेन्द्रनाथ पुत्र स्व0 जगनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. भौरयालाल दत्तक पुत्र भगवन्ती, पत्नी स्व0 ग्यासिया, जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)
2. खैमचन्द पुत्र भौरयालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)

.....असल अप्रार्थीगण

3. अशोक कुमार पुत्र जगनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)
4. आशीष पाराशर पुत्र विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)
5. खुशबू कुमारी पाराशर पुत्री विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)
6. स्नेहलता पत्नी विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी नयावास ब्रहम्वाद, तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)

.....तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 वसिलसिले दावा–स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23/9/25

उपस्थितिः– श्री गयालाल शर्मा एड0 प्रार्थीगण

श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 अप्रार्थी संख्या 01 व 02

यह प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 वसिलसिले दावा–स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। सजरा प्रार्थना पत्र में पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 382 रकवा 0.35, 383 रकवा 0.01, 384 रकवा 0.42, 385 रकवा 0.31, 386 रकवा 0.21, 387 रकवा 0.06, 393 रकवा 0.13, 394 रकवा 0.17, 395 रकवा 0.03, 396 रकवा 0.02, 398 रकवा 0.01, 399 रकवा 0.15, 438 रकवा 0.27 हैक्ट. किता–13 कुल रकवा 2.14 हैक्ट. वाके ग्राम नयावास तहसील बयाना में स्थित है जिसमें प्रार्थी रामसहाय 1/3 भाग का, प्रार्थी भूपेन्द्रनाथ 1/9 भाग का एवं तरतीवी अप्रार्थी अशोक कुमार 1/9 भाग का व अप्रार्थी आशीष कुमार पाराशर 1/27 भाग का व खुशबू कुमारी 1/27 भाग की एवं स्नेहलता 1/27 भाग की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है व मृतक भमरसिंह उर्फ मौहरपाल राजस्व रिकार्ड में 1/3 भाग का रिकार्डेड खातेदार है जिस पर प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रार्थीगण वारिस होने के कारण अपने–अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा व काश्त कर रहे है। आराजी खसरा नम्बर 1147 रकवा 0.49, 1149 रकवा 0.01, 1150 रकवा 0.59 हैक्ट किता–3 कुल रकवा 1.09 हैक्ट वाके ग्राम कोठीखेडा तहसील बयाना में स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 रामसहाय 1/3 हिस्से का व प्रार्थी संख्या 2 भूपेन्द्रनाथ 1/9 हिस्से का व तरतीवी अप्रार्थी अशोक कुमार

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

1/9 हिस्से का व खातेदार मृतक विनोद कुमार के वारिसान तरतीवी अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 हिस्स 1/9 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है व मृतक भमरसिंह उर्फ मौहरपाल के वारिसान प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण भाग 1/3 भाग पर अपने-अपने हिस्सा मुताबिक काबिज रहकर काश्त कर रहे है। आराजी खसरा नम्बर 478 रकवा 0.04, 479 रकवा 0.02, 480 रकवा 0.01 हैक्ट किता-3 कुल रकवा 0.07 हैक्ट. वाके ग्राम भाग ब्रहम्वाद तहसील बयाना में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी रामसहाय 1/3 भाग का, प्रार्थी संख्या 2 भूपेन्द्रनाथ 1/9 भाग का व तरतीवी अप्रार्थी अशोक कुमार 1/9 भाग का मृतक विनोद कुमार के वारिसान तरतीवी अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 हिस्स 1/9 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। मृतक भमरसिंह उर्फ मौहरपाल पुत्र प्रभु के भाग 1/3 पर प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से के मुताबिक काबिज रहकर काश्त कर रहे है। मृतक भमरसिंह उर्फ मौहरपाल पुत्र प्रभु के प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण वारिसान है और उनकी मृत्यु के बाद विरासतन आराजी प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 3 लगायत 5 में वर्णित आराजीयात से किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है प्रार्थीगण उक्त आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है और कृषि कर अपने-अपने बच्चों का पेट पालन करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 3 लगायत 5 में वर्णित आराजीयात से असल प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और न ही कभी रहा है और न ही आज मौके पर है। असल अप्रार्थीगण लठैत व झगडालू, ताकतवर व्यक्ति है जिनकी नीयत में बदयान्ती आ गई है जो लाठी के बल पर प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण की आराजीयात पर नाजायज कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। असल अप्रार्थीगण दिनांक 10.11.2024 को एक राय मशविरा कर प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजीयात में जबरदस्ती घुस आये और प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में जबरदस्ती घुसकर धमकी दी है कि हम तुम्हारी उक्त वर्णित आराजीयात पर जबरदस्ती लट्ठ के बल पर नाजायज कर लेगें। तुम्हारी फसलों को नष्ट कर देगें और तुम्हें शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देगें और प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित आराजीयात पर हो रहे तुम्हारे निर्माण शुदा भवन पर भी कब्जा कर लेगें। तुम्हें गांव में न हीं रहने देगें और हम तुम्हारी वुवी हुई फसलों को भी नष्ट करा देगें। असल अप्रार्थीगण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी और पूर्ण रूप से बर्वाद हो जावेगें जिसकी क्षति पूर्ति नगद जर्रे सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों से हमेश-हमेशा के लिए वंचित हो जावेगें व मृतक भमरसिंह उर्फ मौहरपाल से विरासत में प्राप्त हुई पैत्रिक आराजीयात से भी हमेशा के लिये वेदखल हो जावेगें। इसलिये प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से असल अप्रार्थीगण को पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूवी साबित है। अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर असल अप्रार्थीगण को ता. फैसला मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नयावास, कोठीखेडा, भाग ब्रहम्वाद तहसील बयाना में प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के हिस्से के उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी में लट्ठ के बल पर कब्जा कर बेदखल नहीं करे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकाशं मदों को अस्वीकार कर विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। सजरा जानबूझकर गलत व अपूर्ण रूप से पेश किया है जबकि वास्तवित रूप से प्रभुलाल के 3 पुत्र बुद्दीलाल, मूल प्रतिवादी संख्या 1 भौरयालाल व जगनलाल थे तथा उनके 3 पुत्रियॉ सरस्वती, रामश्री व सुफेदी थी। सजरा में मूल प्रतिवादी संख्या 01 भौरयालाल के वजाय भमरसिंह उर्फ मोहरपाल दर्ज किया है जबकि मोहरपाल नाम

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

का कोई पुत्र नही था। मूल प्रतिवादी संख्या 1 को भमरसिंह एवं भौरयालाल दोनों नामों से जानते थे लेकिन मूल प्रतिवादी संख्या 1 के शैक्षणिक एवं सर्विस दस्तावेज में भौरयालाल दर्ज है। भौरयालाल एवं भमरसिंह एक ही व्यक्ति है, अलग–अलग नहीं है। प्रभुलाल के उक्त तीनों पुत्रों के अलावा अन्य कोई चौथा पुत्र पैदा नहीं हुआ था। प्रभुलाल 3 पुत्रों में से बुद्दीलाल व जगनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। बुद्दीलाल के भी 2 पुत्र रामसहाय, रामकिशोर एवं 1 पुत्री रूक्मणी थी जिनमें 1 पुत्र रामकिशोर का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान पत्नी, पुत्र पुत्रियॉ क्रमशः आशा, पुष्पेन्द्र, गिरजेश, रेखा है, जो जीवित है जिन्हे सजरा में नहीं दर्शाया है। जगनलाल का स्वर्गवास हो गया है। प्रभुलाल के 3 पुत्रों में एकमात्र मूल प्रतिवादी संख्या 1 जीवित है। मूल प्रतिवादी संख्या 1 को भौरयालाल के अतिरिक्त भमरसिंह नाम से जानते है। वादीगण ने जिसे गलत रूप से लावल्द विला औरत (फौत) बतलाया है जबकि मूल प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित रहते हुये फौत बतलाया है जबकि मूल प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र, पुत्रियॉ है। मूल प्रतिवादी संख्या 1 सभी शैक्षणिक व सर्विस दस्तावेज में पिता का नाम प्रभुलाल है। इस प्रकार तथ्यों को छिपाते हुये वादीगण ने केवल मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भौरयालाल के स्थान पर भमरसिंह व मोहरपाल गलत दर्ज होने के आधार पर मूल प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी को हडपने की बदयान्ती से यह गलत व झूठा दावा प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में यह स्पष्ट भी नहीं किया है कि यदि मूल प्रतिवादी संख्या 1 भौरयालाल के अतिरिक्त यदि भमरसिंह व मोहरपाल नाम का अन्य कोई पुत्र प्रभुलाल का रहा है तब उसकी मृत्यु किस दिनांक सन् सम्वत को हुई थी और मृत्यु के बाद वादीगण ने विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाने के संबंध में ग्राम पंचायत या तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी जिसमें समस्त तथ्य गलत व झूठे है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मूल प्रतिवादी संख्या 1 भौरयालाल के नाम स्थान पर त्रुटिवश व भूलवश भमरसिंह व मोहरपाल दर्ज कर दिया गया है जिसके शुद्विकरण का प्रार्थना पत्र मूल प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से न्यायालय हाजा प्रस्तुत किया जा चुका है जो कि न्यायालय में पेन्डिंग है। वादीगण ने 1/3 भाग में मोहरपाल उर्फ भमरसिंह के नाम से के नाम से राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त दावा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जिसके हिस्से की घोषणा के बिना वादीगण का वाद कानूनी रूप से मैन्टेविल नहीं है क्योंकि उक्त हिस्से की खातेदारी से पूर्व मूल प्रतिवादी संख्या 1 भौरयालाल के अतिरिक्त भमरसिंह व मोहरपाल का प्रभुलाल का पुत्र होना एवं उसकी मृत्यु हो जाना तथा मृत्यु के बाद उसका वारिसान होना साबित करना होगा जिसके घोषणा की सहायता के बिना केवल स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष वादीगण को प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रभुलाल के स्वर्गवास के बाद उनकी छोडी हुई पैतृक आराजी में बुद्दी उर्फ बुद्दीलाल व जगनलाल के मूल प्रतिवादी संख्या 1 वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज रहे है। चूंकि मूल प्रतिवादी संख्या 1 को भमरसिंह उर्फ भौरयालाल के नाम से जानते थे इसलिये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भौरयालाल न होकर भमरसिंह के नाम इन्द्राज हो गया था जबकि मूल प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य शैक्षणिक, सर्विस दस्तावेज आधार कार्ड व पहचान पत्र में भौरयालाल पुत्र प्रभुलाल दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 भौरयालाल व भमरसिंह एक ही व्यक्ति है। पैतृक आराजी में से कुछ आराजी ग्राम कोठीखेडा तहसील बयाना में स्थित रही है। कोठीखेडा तहसील बयाना में स्थित पैतृक आराजी संयुक्त अविभाजित आराजी रही है। उसमें से साविक आराजी खसरा नम्बर 379 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा को संयुक्त रूप से जगनलाल, रामसहाय एवं मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 20.01.1988 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र रामभरोसी पुत्र हवलीराम धाकड निवासी ब्रहम्वाद को विक्रय कर दी थी तथा मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा ब्रहम्वाद से खातेदारी की आराजी को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया था तथा ऋण राशि जमा कराकर बैंक से मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था मूल प्रतिवादी संख्या 1 की बल्दीयत प्रभुलाल दर्ज है। अतः मूल प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुलाल का पुत्र है जिससे वादीगण ने जानबूझकर छिपाया है। वादीगण, बुद्दीलाल के पुत्र रामकिशोर के हिस्से की आराजी पर भी दावा प्रस्तुत किया है लेकिन रामकिशोर के वारिसान को मुकदमा पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। मूल प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वादपत्र में वर्णित आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

है। मूल प्रतिवादी संख्या 1 अपने उक्त निहित 1/3 भाग को उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज है। वादीगण का मूल प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त निहित 1/3 भाग से किसी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी संयुक्त एवं अविभाजित राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः बिना विभाजन की सहायता वादीगण का कानून मैन्टेनेविल नहीं है। अन्त में वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की ओर से इकवाल प्रार्थना पत्र पेश कर वादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण की खातेदारी, काश्तकारी आराजीयात है। असल अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। मोहरपाल एंव भमरसिंह एक ही व्यक्ति है भौरयालाल भगवन्ती का दत्तक पुत्र है। अप्रार्थीगण मूल विवादित आराजीयात में जबरदस्ती, लट्ठ के बल पर अपना कब्जा करना चाहते है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। भौरयालाल व भमरसिंह एक ही व्यक्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात से मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो सजरा पेश किया है व गलत पेश किया है। भौरयालाल व भमरसिंह एक ही व्यक्ति है भौरयालाल को ही भमरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। भौरयालाल व भमरसिंह अगल–अगल व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी ने सजरा गलत पेश किया है विवादित आराजीयात का भौरयालाल 1/3 श्रससग कस रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। समस्त प्रकार की फसलों का उपयोग–उपभोग कर रहा है। विवादित आराजीयात भौरयालाल से प्रार्थीगण गलत तथ्यों को पेश कर हडपना चाहते है। भौरयालाल सरकारी कर्मचारी रहा है। अब रिटायर्ड हो गया है। एड0 अप्रार्थी ने दौराने बहस ग्राम कोठीखेडा, भाग ब्रहम्वाद की जमाबन्दियों का अवलोकन कराया। शपथपत्र (सजरा) ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र, धारा 6 (1), व अन्य पत्रावलियों में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन कराया। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने का निवेदन किया कि विवादित आराजीयात बाबत एक प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट का विचाराधीन है।

विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन को देखा जाना है। विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण अथवा तरतीवी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 02 का है। राजस्व रिकार्ड में भौरयालाल पुत्र प्रभु अंकित है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण अथवा तरतीवी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मूल अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/9/25 **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।**

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)